

28/10/21

Form. No-|||

फॉर्म अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

क्रिस्म गुकदमा 136 एल आर एक्ट

तेजनी 257-258

बनाम

सरकार

नम्बर 164 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 /

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख म जारी किए
28/10/21	<p>तहसीलदार भू.अ. / नायब तहसीलदार.....<u>शक्ति सिंह</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/<u>322</u> पृष्ठ 403 दिनांक <u>28/10/21</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत.....<u>शक्ति सिंह</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>257-258</u> की जमाबंदी सम्बन्ध <u>2024-2027</u> के खाता सं <u>36</u> में <u>S.B.J. शाखा शक्ति सिंह</u></p>	
	<p>के स्थान पर <u>S.B.J. शाखा शक्ति सिंह</u></p>	
	<p>की दुरुस्ती करने की अनुशंसा की है। प्राथमिक रूप से जज अहकाम हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में जमाबंदी नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>शक्ति सिंह</u> रायसिंहनगर की अनुशंसा के आधार पर चक <u>257-258</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बन्ध <u>2024-2027</u> के खाता सं <u>36</u> में</p>	
	<p><u>S.B.J. शाखा शक्ति सिंह</u> के स्थान पर</p>	
	<p><u>S.B.J. शाखा शक्ति सिंह</u></p>	
	<p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	
	<p>(अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर</p>	